

1043

1010 00000



बिमल ग्रेगोरी
22/11/2013

एक से ५ लाख रुपे आदानाक
 कर्मकारी आधिकार 1908 की धर
 46 D Pro के अधीन
 के अधीन आदानाक आधिकार
 1899 की अनुबंध
 23 I-A With the permission by
 L.R.D.e. Simdega vide case no.
 297/2012-13
 order dated
 21-05-13

22-11-13
 9/11/13

§18 लेख्यकारी:- श्री बिमल ग्रेगोरी तोपनो पिता स्व० मार्शल अलो सिधुस
 तोपनो, जाति- मुण्डा, पेशा- नौकरी, निवास ग्राम- गोतरा
 सामटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

समथ-पत्र संख्या:- 695/2013 बिदेता ।

Handwritten notes and signatures at the bottom left, including dates like '22-11-13' and '21-11-13'.

शरिक दीपी पिता-
 लोकेतुबस दीपी
 म - कोलबधर
 जिला - सिमडेगा
 ताला - सिमडेगा
 नांक - 22-11-2013



--3--

पूरब :- सुशीला कन्दुलना का मकान,

पश्चिम:- इसी प्लॉट का अंश हाल खरीदगी विजय टेटे ।


मालगुजारी 3 पैसा {तीन पैसा} अलावे सेस सलाना ।

§1§ चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू
कार्य के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर
सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की
प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

§2§ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में
रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी
के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल
हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों
के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची
गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी
उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और
न आइन्दा रहेगा ।

§3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन मेरी दादी
सुसाना तोपनो की खरीदगी जमीन है जिसे उन्होंने निर्बंधित केवाला
लेख्या 91 दिनांक 27.2.1941 के द्वारा हासिल की है । मेरी दादी
एवं पिताजी की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद जमीन का
आपसी मौखिक भैयादी बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच

सुशीला कन्दुलना
22/11/2013



--4--

रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक
दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगडा झंझट
नहीं है ।

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं
अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहत्ता
भूमि सुधार, सिम्डेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी
अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद
संख्या 297/2012-13 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 21.05.2013 को
प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 555/11/13 दिनांक 21.05.2013 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो
दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें
वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिम्डेगा के कार्यालय
से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय
मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के
लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल,
सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्तो, गैर मजलआ के तहत नहीं है ।

22/11/2013
2011/11/13/4/1
22/11/2013



--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

जलोरेखा सुस. देवे
22/11/2013

जलोरेखा सुस. देवे
22/11/2013



हस्ताक्षर किया जाना है कि जलोरेखा सुस. देवे ने अपने बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का दाय. भरें साक्षर किया ।

जलोरेखा सुस. देवे
22-11-13


मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगो के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।



जलोरेखा सुस. देवे
22/11/13

हस्ताक्षर किया जाना है कि जलोरेखा सुस. देवे ने अपने बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का दाय. भरें साक्षर की ।

जलोरेखा सुस. देवे
22-11-13



--6--

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- *[Signature]*
22-11-13
प्रारूपकर्ता
तारीख:-

[Handwritten signature]
22/11/2013

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 648 शब्द टंकित हैं जो छापडन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसुद
7/11/2013
मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।



7

विश्व प्रदीप
22/11/2013